ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

43 / 2021 तारीखरजू:– 30-6-21

उनवान:– ज्ञानसिंह बनाम ब्रजभान वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

	फर्द अहकाम	
30/6/21	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का हैं तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1537/0.13, 1538/0.15, है0 ग्राम महमदपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी दिनांक 23.07.2021 तक कोई निर्माण नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज़ व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित / वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.07.2021 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	3223-25 30/6/21
23.7.21	प्रार्थी वकील उप0/ अप्रार्थी नम्बर 1,2,3 की ओर से मीमो पेश किया / प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि टाइप मिस्टेक से प्रार्थी नम्बर 3,4,5 के नाम लिखने मे आ गये है इसलिए प्रार्थना पत्र	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
मि० निर्मला	से इनका नाम हजफ फरमाया जावे। श्रीमति निर्मला W/o ओमी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया नं. 3 बनाकर एवं पुत्री पूजा व पुत्र विजेन्द्र को प्रार्थी नम्बर 4,5 बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है किन्तु इसकी मुझे जानकारी नहीं है ना ही मेरे हस्ताक्षर है। प्रार्थना पत्रो का जवाब पेश करने दिनांक 28.7.21 को पेश हो।
28.7.21 मुकदमा करना नही चाहते ज्ञानसिंह	वकील उभयपक्ष एवं प्रार्थी ज्ञानसिंह उपस्थित। प्रार्थी ने मुकदमा आगे नहीं लड़ने का कथन कर Not-Press किया। प्रार्थी की पहचान उनके वकील ने की। प्रार्थी वकील ने भी मुकदमा खारिज करने का कथन किया। अत: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली